बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

मनरेगा के अंतर्गत जन शिकायतों के प्रभावी निष्पादन के लिए जिला स्तरीय लोकपाल की व्यवस्था का प्रावधान है । विस्तृत दिशा निदेश यथा दायित्व एवं कर्तव्य बेवसाईट (rdd.bih.nic.in) पर उपलब्ध है ।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम की धारा- 27(1) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु राज्य के निम्नलिखित जिलों यथा जमुई, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, अरवल, गोपालगंज, कटिहार, कैमूर, नालन्दा, खगड़िया, किशनगंज, शेखपुरा एवं रोहतास जिलों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ग्रामीण विकास विभाग के बेवसाईट rdd.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक- 15.11.2016, 17.00 बजे तक होगी ।

नियुक्ति के शर्ते :-

1. लोकपाल (Ombudsman) का चयन दो वर्षो के लिए होगा । उनके द्वारा संपादित कार्यो के समीक्षोपरान्त उन्हें अधिकतम 2 बार एक-एक वर्ष का अवधि विस्तार किया जा सकेगा ।
2. लोकपाल (Ombudsman) को प्रत्येक बैठक हेतु 1000/- रूपया मानदेय के रूप में अधिकतम सीमा 20,000/- रूपये प्रति माह देय होगा । इसके अलावे किसी प्रकार के अन्य भत्ते देय नहीं होगें ।
3. लोकपाल (Ombudsman) कार्यालय जिला मुख्यालय में होगा ।
4. आवेदक किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं हों ।

योग्यता:- अचूक सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक हो तथा लोक प्रशासन यथा अपर समाहर्ता एवं उच्च स्तर के सेवानिवृत पदाधिकारी, विधि यथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उच्च स्तर के सेवानिवृत विधि पदाधिकारी, अभियंत्रण सेवा यथा अधीक्षण अभियंता या उच्च स्तर के सेवा निवृत अभियंता, सामाजिक कार्यो में संबद्व व्यक्ति जो 20 वर्षो से अन्यून ख्याति प्राप्त NGO के कार्य अनुभव रखते हो ।

उम्र सीमा:- अधिकतम 66 वर्ष- (दिनांक- 31.10.2016 के आधार पर) ।

20/10/2016

सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग ।